

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव  
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 179/2022

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अचलाराम पुत्र कोहलाराम 2. जगूराम पुत्र कोहलाराम 3. विशनाराम पुत्र कोहलाराम 4. नैनाराम पुत्र कोहलाराम 5. निम्बाराम पुत्र गुमनाराम 6. दीपाराम पुत्र गुमनाराम 7. चूनीदेवी पत्नी गुमनाराम जाति जाट, निवासी कानासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. दलाराम पुत्र उदाराम 2. भंवराराम पुत्र रायमलराम 3. मोटाराम पुत्र रायमलराम 4. सुराराम पुत्र रायमलराम 5. गेनाराम पुत्र रायमलराम 6. खेताराम पुत्र पनाराम 7. जीवणराम पुत्र पनाराम 8. रूगाराम पुत्र पनाराम 9. सिनगारीदेवी पत्नी पनाराम 10. पोकरराम पुत्र दुर्गाराम 11. माधुराम पुत्र टीकमाराम 12. जमुनादेवी पत्नी टीकमाराम 13. पपुराम पुत्र तेजाराम 14. गजाराम पुत्र तेजाराम 15. गंगाराम पुत्र तेजाराम 16. किस्तुरीदेवी पत्नी तेजाराम 17. रूगाराम पुत्र हुकमाराम 18. गेनाराम पुत्र हुकमाराम 19. राजुराम पुत्र धुडाराम 20. करनाराम पुत्र धुडाराम 21. मंगलाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट, निवासी कानासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 22. नगाराम पुत्र बालाराम जाति जाट, निवासी कानासर गोलाई तहसील शिव, जिला बाड़मेर 23. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक कानासर 24. शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक बालोतरा 25. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक उण्डू 26. शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक शिव 27. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादीगण :- श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 22 :- श्री बालाराम गोदारा।



—:: निर्णय ::—

दिनांक : 12.02.2026

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल कानासर के ग्राम कानासर के खेत खसरा नम्बर 426 रकबा 19.5625 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	वरंग
1	दलाराम 1/4 पुत्र उदाराम, भंवराराम 1/16, मोटाराम 1/16, सुराराम 1/16, गेनाराम 1/16 पि. रायमलराम, खेताराम 1/16, जीवणराम 1/16, रूगाराम 1/16 पि. पन्नाराम, सिणगारी 1/16 पत्नी पन्नाराम, पोकरराम 1/4 पुत्र दुर्गाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन खेताराम व सिणगारी का हिस्सा आईसीआईसीआई शाखा कानासर	कानासर	426	6.4776	बा.दो.	0.64	केसरिया
2	माधुराम पुत्र टीकमाराम 1/24, जमुनादेवी पत्नी टीकमाराम 1/24, पपुराम 1/48, गजाराम 1/48, गंगाराम 1/48 पि. तेजाराम, किस्तुरीदेवी पत्नी तेजाराम 1/48, रूगाराम 39/40, गेनाराम 1/12 पि. हुकमाराम, राजुराम 1/6, करनाराम 1/6	कानासर	426	6.4776	बा.दो.	0.64	केसरिया

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

	पि. धुड़ाराम, मंगलाराम पुत्र हेमाराम 1/3, नगाराम पुत्र बालाराम 1/40 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन गंगाराम, गेनाराम, राजुराम का हिस्सा बीएलडीबी शाखा बालीतरा एवं करनाराम वू मंगलाराम का हिस्सा आईसीआईसीआई शाखा कानासर						
3	अचलाराम पुत्र कोहलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा उण्डू	कानासर	426	1.2955	बा.दो.	0.08	केसरीया /हरा/ आसमानी
4	जगुराम पुत्र कोहलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	कानासर	426	1.2955	बा.दो.	0.08	नीला
5	विशनाराम पुत्र कोहलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	कानासर	426	1.2956	बा.दो.	0.08	जामुनी
6	नैनाराम पुत्र कोहलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन आईसीआईसीआई शाखा कानासर	कानासर	426	1.2955	बा.दो.	0.08	गुलाबी
7	निम्बाराम, दीपाराम पि. गुमनाराम, चुनीदेवी पत्नी गुमनाराम जाति जाट सा. देह खोतदार	कानासर	426	1.2955	बा.दो.	0.08	नियोन पीला
8	सम्पूर्ण खातेदार बदस्तुर जमाबंदी अनुसार	कानासर	426	0.1297	बा.दो.	0.07	लाल

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कमिश्नर  
(SPO) (बीडमेर)

निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कमिश्नर  
(SPO) (बीडमेर)